

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.2)

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का संक्षिप्त सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	करदाताओं की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए		अपील, एनसीएलटी, उच्च न्यायालय आदि में विचाराधीन या लंबित प्रकरण		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन							
						डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		आक्षेप से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण		एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली' की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डीआरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		योग	
						संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी1)	58	93	738.69	13	138.12	8	63.46	12	87.17	27	176.37	31	241.41	-	-	2	32.16	33	273.57
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी (डी2)	30	75	290.15	9	56.03	0	0	5	26.08	55	192.18	06	15.86	-	-	-	-	06	15.86
सीमा अवधि के बाद दाखिल किये गये जीएसटीआर- 3बी में प्राप्त आईटीसी (डी3)	45	57	99.28	10	21.88	0	0	3	2.96	16	23.50	24	48.82	1	0.16	3	1.96	28	50.94
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी4)	15	23	7.53	4	1.55	0	0	0	0	10	3.48	8	1.39	-	-	1	1.11	9	2.50
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान (डी5)	35	56	72.02	10	8.31	19	12.52	5	16.51	14	17.18	08	17.50	-	-	-	-	08	17.50
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी6)	14	23	484.02	1	1.69	3	28.22	1	1.71	9	38.60	7	411.54	2	2.26	-	-	09	413.80
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी7)	15	23	647.48	0	0	8	47.47	1	7.12	5	26.50	8	563.83	-	-	1	2.56	9	566.39
अस्थिर देनदारियाँ (डी8)	64	112	824.65	19	209.41	7	44.82	6	5.12	60	464.28	18	86.21	2	14.81	-	-	20	101.02

1 ₹ 1245.26 करोड़ के 78 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया, ₹334.40 करोड़ के 140 प्रकरणों में मांग कायम की गई और 18 प्रकरणों में ₹1.58 करोड़ की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा आयाम	करदाताओं की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए				अपील, एनसीएलटी, उच्च न्यायालय आदि में विचाराधीन या लंबित प्रकरण						विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन					
		संख्या		राशि		संख्या		राशि		संख्या		राशि		संख्या		राशि		संख्या		राशि			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी (डी9)	44	103	1,569.71	5	64.41	3	25.98	1	28.18	62	879.87	8	83.60	24	487.67	-	-	32	571.27				
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी10)	15	19	36.17	3	7.73	0	0	5	4.84	7	16.46	2	3.90	1	1.44	1	1.80	4	7.14				
टीडीएस/ टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी (डी11)	24	40	495.98	1	248.84	0	0	1	57.03	25	86.81	8	89.46	3	7.77	2	6.07	13	103.30				
जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी (डी12)	14	18	210.76	2	15.49	3	66.56	0	0	10	106.80	1	7.41	2	14.50	-	-	03	21.91				
जीएसटीआर-9सी की तालिका 7 जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच (डी13)	15	26	- ²	1	0	1	-	0	0	22	-	-	-	2	-	-	-	02	-				
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी14)	9	9	-	0	0	0	0	0	0	7	-	2	-	-	-	-	-	02	-				
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है (डी15)	45	67	-	22	-	0	0	6	-	3	-	34	-	02	-	-	-	36	-				
ब्याज का कम भुगतान (डी16)	68	182	32.48	26	6.27	0	0	67	13.26	17	2.50	71	10.31	01	0.14	-	-	72	10.45				
योग	510	926	5,508.92	126	779.73	52	289.03	113	249.98	349	2,034.53	236	1581.24	40	528.75	10	45.66	286	2,155.65				

2 26 प्रकरणों में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में कुल मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर ₹ 7,567.87 करोड़ है, जिसमें से एक प्रकरण में डेटा प्रविष्टि त्रुटि का टर्नओवर ₹ 2166.46 करोड़ है, ₹ 3709.74 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले 22 प्रकरणों में, विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किए गए और ₹ 1191.36 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले दो प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है और ₹ 500.31 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर से संबंधित शेष एक मामला उच्च न्यायालय में स्थगन के अधीन है।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.1)

अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्राधिकार वृत्त	नमूना करदाताओं की संख्या	प्रस्तुत नहीं किया जाना	
			करदाताओं की संख्या	आईटीसी/कर देयता में मिसमैच
1	वृत्त-आई, जयपुर-तृतीय	15	15	24.55
2	वृत्त-एच, जयपुर-द्वितीय	2	2	5.73
3	वृत्त-एच, जयपुर-तृतीय	1	1	10.09
4	वृत्त-एच, जयपुर-चतुर्थ	1	1	0.03
5	वृत्त-जे, जयपुर-प्रथम	2	2	1.49
6	वृत्त-जे, जयपुर-द्वितीय	1	1	119.97
7	वृत्त-जे, जयपुर-तृतीय	1	1	0.20
8	वृत्त- शाहजहांपुर	2	2	10.98
9	वृत्त-ए, भीलवाड़ा	1	1	0.06
10	वृत्त-डी, जयपुर-द्वितीय	3	3	4.26
11	वृत्त-बी, अलवर	1	1	0.59
12	वृत्त-सी, अलवर	1	1	10.26
13	वृत्त-बी, अजमेर	1	1	0.94
14	वृत्त-ए, अजमेर	1	1	0.52
15	वृत्त-टोंक, जयपुर-द्वितीय	1	1	1.66
16	वृत्त-डी, जोधपुर-द्वितीय	2	2	4.98
17	वृत्त-मेड़ता सिटी	2	2	0.05
18	वृत्त-बी, भीलवाड़ा	2	2	4.35
19	वृत्त-बारां	2	2	0.87
20	वृत्त-डी, कोटा	1	1	0.98
21	वृत्त-ई, कोटा	1	1	13.46
22	वृत्त-आई, जयपुर-प्रथम	5	5	23.33
23	वृत्त-सी, जयपुर-प्रथम	3	3	15.29
24	वृत्त-सी, जयपुर-तृतीय	3	3	16.19
25	वृत्त-डी, जयपुर-प्रथम	1	1	0.14
26	वृत्त-एच, जयपुर-प्रथम	2	2	1.68
27	वृत्त-ए, बांसवाड़ा	1	1	2.73
28	वृत्त-ए, बाड़मेर	1	1	1.14

क्र.सं.	क्षेत्राधिकार वृत्त	नमूना	प्रस्तुत नहीं किया जाना	
		करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	आईटीसी/कर देयता में मिसमैच
29	वृत्त-ए, जयपुर-द्वितीय	1	1	0.04
30	वृत्त-ए, जयपुर-चतुर्थ	5	5	154.73
31	वृत्त-ए, श्रीगंगानगर	1	1	12.78
32	वृत्त-ए, उदयपुर	1	1	0.28
33	वृत्त-बूंदी	2	2	3.19
34	वृत्त-बी, बाड़मेर, जोधपुर-द्वितीय	1	1	1.61
35	वृत्त-बी, भरतपुर	1	1	0.62
36	वृत्त-बी, जोधपुर-द्वितीय	1	1	0.39
37	वृत्त-बी, कोटा	3	3	3.75
38	वृत्त-सी, हनुमानगढ़	1	1	0.06
39	वृत्त-सी, जयपुर-द्वितीय	1	1	11.97
40	वृत्त-चुरू	1	1	0.00
41	वृत्त-डी, उदयपुर	3	3	0.21
42	वृत्त-ई, जयपुर-द्वितीय	1	1	0.30
43	वृत्त-ई, जोधपुर-द्वितीय	1	1	0.01
44	वृत्त-ई, उदयपुर	2	2	4.11
45	वृत्त-एफ, जयपुर-द्वितीय	3	3	3.92
46	वृत्त-जी, जयपुर-तृतीय	1	1	0.05
47	वृत्त-करौली	1	1	0.61
48	वृत्त-एन, जयपुर-तृतीय	1	1	0.72
49	वृत्त-नीम का थाना	1	1	0.09
50	वृत्त-प्रतापगढ़	1	1	0.00
51	वृत्त-सिरोही	2	1	0.19
योग		96	95	476.15

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.4)

ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रपत्रों की सूची

क्र. सं.	प्रपत्र सं.	विवरण	मूलकर्ता	अनुकरणकर्ता	प्राप्तकर्ता	उद्देश्य
1	जीएसटी एमओवी-01	वाहन को रोकने के दौरान माल तथा वाहन के मालिक/चालक/ व्यक्ति का बयान	वाहन का प्रभारी व्यक्ति	उचित अधिकारी	उचित अधिकारी	निरीक्षण को अभिलेखबद्ध करना
2	जीएसटी एमओवी-02	परिवहन, माल तथा दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के लिए आदेश	उचित अधिकारी	सभी हितधारक	परिवहनकर्ता	करदेयता का सत्यापन
3	जीएसटी एमओवी-03	निरीक्षण का समय तीन कार्य दिवसों से अधिक बढ़ाने के लिए आदेश।	संयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त	उचित अधिकारी	उचित अधिकारी	माल का निरीक्षण
4	जीएसटी एमओवी-04	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	निरीक्षण को अभिलेखबद्ध करना
5	जीएसटी एमओवी-05	माल एवं वाहन को छोड़ने का आदेश	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	
6	जीएसटी एमओवी-06	दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या दोषपूर्ण दस्तावेजों आदि के लिए माल को रोकने का आदेश	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	अभिलेखों के सत्यापन के लिए
7	जीएसटी एमओवी-07	माल के निरीक्षण के परिणाम पर कारण बताओ नोटिस	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	देय कर का संग्रह
8	जीएसटी एमओवी-08	माल एवं परिवहन की अनंतिम (प्रोविजनल) रिहाई के लिए बाँण्ड	करदाता	उचित अधिकारी	उचित अधिकारी	देय कर के लिए क्षतिपूर्ति
9	जीएसटी एमओवी-09	कर तथा शास्ति की मांग का आदेश (रोके गये माल/वाहन)	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए
10	जीएसटी एमओवी-10	माल या वाहन की जब्ती और जुर्माना लगाने के लिए नोटिस	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	मालिक/ परिवहनकर्ता को सूचना
11	जीएसटी एमओवी-11	माल एवं वाहन की जब्ती का आदेश - कर, जुर्माना तथा शास्ति की मांग	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	मालिक/ परिवहनकर्ता को सूचना

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.5.4)

चिन्हित प्रमुख समस्या क्षेत्र/जोखिम आयाम

क्रमांक	प्रमुख समस्या क्षेत्र
1	कंपोजीशन करदाता द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल जनरेट करना।
2	कंपोजीशन करदाता द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक की जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल जनरेट करना।
3	किसी भी वर्ष में केवल जावक आपूर्ति वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
4	किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ई-वे बिल समर्थित) की तुलना में असमानुपाती जावक आपूर्ति करने वाले करदाता।
5	ड्रूप्लिकेट चालान का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करने वाले करदाता।
6	शून्य रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
7	रिटर्न डिफाल्टरों (रिटर्न दाखिल न करने वाले) द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
8	निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिल जनरेट करने वाले करदाता।
9	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल जनरेट किए और जिनका पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया।
10	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल जनरेट किए तथा बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया।
11	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल जनरेट किए तथा बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिए गए।
12	किसी भी वर्ष में जावक पक्ष की तुलना में आवक पक्ष पर ई-वे बिलों द्वारा समर्थित असमानुपातिक आपूर्ति करने वाले करदाता।
13	करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का विस्तार करना।
14	जोखिम भरे वाहनों, जैसे दोपहिया वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
15	चोरी के वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
16	पंजीकरण के पहले 6 महीनों में उच्च मूल्य के ई-वे बिल जनरेट करना।
17	अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
18	निलंबित, स्क्रेप किए गए, सरेंडर किए गए तथा निरस्त किए गए वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
19	एमसीए की डिफाल्टर सूची धारकों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
20	आयकर डिफाल्टरों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
21	डीजीएआरएम/अन्य एजेंसियों द्वारा चिन्हित करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
22	डीजीएफटी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए निर्यातकों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।

परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.12.12)

एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) तथा केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) पर प्रभाव

क्रम सं.	अनुच्छेद संख्या	प्रकरण	शामिल सीजीएसटी राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत सीजीएसटी राशि	सीजीएसटी राशि वसूली गई	शामिल आईजीएसटी राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत आईजीएसटी राशि	आईजीएसटी राशि वसूली गई
1	2.4.12.3	8	24.24			3.45		
योग		8	24.24			3.45		

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.1)

विभागों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	कृषि	22	भू-जल	43	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
2	कृषि विपणन	23	उच्च शिक्षा	44	राजस्व आसूचना
3	पशुपालन	24	गृह विभाग गृह रक्षा सहित	45	सैनिक कल्याण
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	25	उद्यान	46	संस्कृत शिक्षा
5	कला एवं संस्कृति	26	सूचना एवं जनसम्पर्क सूचना आयोग सहित	47	माध्यमिक शिक्षा
6	आयुर्वेद	27	निरीक्षण	48	बंदोबस्त
7	भाषा एवं पुस्तकालय	28	सिंचाई (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना)	49	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि
8	कलेक्टर (विविध)	29	जेल	50	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता
9	सिंचित क्षेत्र विकास	30	श्रम	51	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
10	सहकारिता	31	भू-राजस्व	52	पंजीयन एवं मुद्रांक
11	देवस्थान	32	विधि एवं विधिक कार्य	53	राज्य आबकारी
12	आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा	33	स्थानीय कोष लेखापरीक्षा	54	आर्थिक एवं सांख्यिकी
13	निर्वाचन	34	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	55	तकनीकी शिक्षा
14	प्राथमिक शिक्षा	35	चिकित्सा शिक्षा	56	पर्यटन
15	कर्मचारी राज्य बीमा	36	अल्पसंख्यक मामलात	57	कोष एवं लेखा
16	मूल्यांकन	37	पटवार प्रशिक्षण केंद्र	58	जनजातीय क्षेत्रीय विकास
17	वित्त	38	पेंशन (बैंक)	59	वैट/जीएसटी
18	मत्स्य	39	कार्मिक	60	जल संसाधन विभाग
19	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	40	मुद्रण एवं स्टेशनरी	61	मार्गोपाय
20	सामान्य प्रशासन विधानसभा सचिवालय, राज्यपाल सहित	41	राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान	62	महिला एवं बाल विकास
21	गोपालन	42	राजस्थान लोक सेवा आयोग	63	युवा मामले एवं खेल

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.4)

निरीक्षण प्रतिवेदनों में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणी-वार विवरण

क्र.सं.	अनियमितताओं की श्रेणी	महिला एवं बाल विकास विभाग		श्रम विभाग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/भंडार एवं नकद की चोरी	32	4.21	04	0.63
2	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां	278	83.87	67	245.87
3	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	58	13.17	04	0.11
4	परिहार्य/अधिक व्यय	99	36.34	07	279.98
5	निरर्थक/निष्फल व्यय	160	299.43	06	44.31
6	विनियामक प्रकरण	804	532.97	91	645.43
7	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	172	340.39	60	883.76
8	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	52	73.26	0	0
9	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	448	274.90	68	26.49
10	विविध	685	355.32	55	1456.74
कुल		2788	2013.86	362	3583.32

परिशिष्ट 7.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.4)

जून 2025 की स्थिति के अनुसार 24 डीईआईसी में पदस्थापित मानवशक्ति की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	डीईआईसी का नाम	भवन निर्माण (माह/वर्ष)	वर्ष जिसमें भारत सरकार द्वारा पीआईपी, एनएचएम में मानव संसाधन स्वीकृत किया गया	बाल रोग विशेषज्ञ	चिकित्सा अधिकारी	प्रबंधक	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट	मनोवैज्ञानिक	नेत्र रोग विशेषज्ञ	प्रारंभिक सह सामाजिक कार्यकर्ता	हस्तक्षेपकर्ता सह विशेष शिक्षक सह
1.	भरतपुर	09/2016	2015-16	00	00	00	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	00	पदस्थापित	
2.	भीलवाड़ा	12/2016	2015-16	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	बीकानेर	10/2016	2015-16	00	00	पदस्थापित	00	पदस्थापित	पदस्थापित	00	पदस्थापित	
4.	चित्तौड़गढ़	11/2016	2015-16	00	00	पदस्थापित	00	पदस्थापित	00	00	पदस्थापित	
5.	चुरू	03/2020	2015-16	00	00	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	00	00	पदस्थापित	
6.	जालौर	09/2017	2015-16	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7.	उदयपुर	07/2016	2015-16	00	00	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	00	00	00
8.	बांसवाड़ा	02/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9.	बारां	10/2016	2021-22	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00	00	00
10.	बूंदी	03/2017	2021-22	00	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
11.	दौसा	01/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12.	डूंगरपुर	03/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13.	हनुमानगढ़	08/2016	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00	00

क्र. सं.	डीईआईसी का नाम	भवन निर्माण (माह/वर्ष)	वर्ष जिसमें भारत सरकार द्वारा पीआईपी, एनएचएम में मानव संसाधन स्वीकृत किया गया	बाल रोग विशेषज्ञ	चिकित्सा अधिकारी	प्रबंधक	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट	मनोवैज्ञानिक	नेत्र रोग विशेषज्ञ	प्रारंभिक सह विशेष सामाजिक कार्यकर्ता सह शिक्षक सह
14.	जैसलमेर	12/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
15.	झालावाड़	06/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
16.	झुंझुनूं	11/2016	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	पदस्थापित
17.	करौली	11/2016	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
18.	नागौर	12/2017	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
19.	पाली	03/2017	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
20.	प्रतापगढ़	10/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
21.	राजसमंद	12/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
22.	सवाई माधोपुर	10/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
23.	सिरोही	07/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
24.	श्रीगंगानगर	04/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल		2016-17 : 18 डीईआईसी 2017-18 : 05 डीईआईसी 2019-20 : 01 डीईआईसी	2015-16 : 07 डीईआईसी 2021-22 : 17 डीईआईसी	सभी 24 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	23 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	15 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	20 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	19 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	21 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	सभी 24 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	19 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं

स्रोत: मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी

परिशिष्ट 7.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.5)

ग्यारह विश्वविद्यालयों की सूची जिनके प्रोजेक्ट प्रारंभ में आईटीआई लिमिटेड को सौंपे गए थे लेकिन एक्सपेडियन ई सॉल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किए गए

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद (हरियाणा)
2.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी
3.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
4.	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
5.	राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
6.	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
7.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
8.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
10.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (एमपी)
11.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

परिशिष्ट 7.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.5)

जनवरी 2025 तक यूएमएस के अंतर्गत 25 मॉड्यूल की कार्यात्मक स्थिति

क्र. सं.	मॉड्यूल का नाम	कार्यात्मक स्थिति
1	प्री-एडमिशन	उपयोग किया जा रहा है
2	प्रवेश एवं अकादमियां	उपयोग किया जा रहा है
3	छात्र शुल्क प्रबंधन	उपयोग किया जा रहा है
4	पूर्व छात्र प्रबंधन	उपयोग किया जा रहा है
5	परीक्षा एवं परिणाम (प्री)	उपयोग किया जा रहा है
6	परीक्षा एवं परिणाम (पोस्ट)	उपयोग किया जा रहा है
7	छात्रों हेतु स्व-सेवा पोर्टल	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
8	छात्र/कर्मचारी उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
9	वित्तीय लेखांकन एवं सरकारी कोषागार प्रणाली	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
10	कर्मचारी स्थापना प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
11	कर्मचारियों हेतु स्व-सेवा पोर्टल	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
12	पेंशन प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
13	ईपीएफ एवं ऋण आवेदन ऑनलाइन सेवा	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
14	महाविद्यालय संबद्धता प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
15	अतिथि गृह प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
16	छात्रावास प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
17	स्थानन प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
18	बजट प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
19	भर्ती प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
20	अवकाश प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
21	भंडार एवं क्रय	उपयोग नहीं किया जा रहा है
22	आरटीआई प्रकोष्ठ प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
23	अनुसंधान एवं परियोजनाएँ (विकास अनुभाग)	उपयोग नहीं किया जा रहा है
24	अनुसंधान प्रबंधन (अनुसंधान प्रकोष्ठ)	उपयोग नहीं किया जा रहा है
25	छात्र पहचान पत्र	उपयोग नहीं किया जा रहा है